

# किसान आन्दोलन: खट्टर झुके तो ऐसे कि लम्बे ही लेट गये

करनाल (म.मो.) सुधी पाठकों ने गतांक में पढ़ा था कि किस तरह किसानों व खट्टर सरकार के बीच खींचतान चल रही है। बसतारा टोल नाके पर पुलिस द्वारा किसानों के सिर फ़ोड़े जाने को लेकर उनकी ओर से सरकार के सामने कुछ बड़ी साधारण सी एवं न्यायपूर्ण मार्ग रखी गई थी। खट्टर द्वारा उन मार्गों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय उन्हें ललकारते हुए धमकाया। अपनी अपार शक्ति की धमकी देते हुए किसानों को किसी प्रकार का आन्दोलन न करने को कहा।

लेकिन किसान खट्टर की ओकात से भली-भांति परिचित थे। उन्होंने खट्टर की 'अपार शक्ति' का नमूना कुछ माह पूर्व घरेंदा में व कुछ समय बाद हिसार में देखा लिया था। किसानों ने तो खट्टर की इस 'अपार शक्ति' का आंकलन सही से कर लिया था,



परन्तु अपनी अल्पज्ञता के चलते खट्टर किसानों की शक्ति का सही आंकलन न कर सके, लिहाजा दोनों ओर से शक्तियों का प्रदर्शन होते जनता ने चौड़े में देखा और पाया कि खट्टर जी थोड़ा झुकने के बजाय पूरी तरह

किसानों के सामने लमलेट हो गये।

किसानों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने के लिये विष्ट आईएस अधिकारी देवेन्द्र सिंह को भेजा गया। उन्होंने किसानों की बात मानते हुए, सिर फ़ोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम को लम्बी छुट्टी पर भेजने के साथ-साथ, पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के सेवानिवृत्याधीश से कराने का आश्वासन दिया। मृतक किसान के घर से किसी एक को नौकरी देने की जगह दो को नौकरी देने की बात मानी।

रही बात मृतक व घायलों को नकद मुआवजा देने की तो इस पर स्थित अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है। अनेकों स्थानीय चैनल लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों को कैश मुआवजा दे दिया गया है। जबकि दूसरी ओर प्रशासन अभी इस पर विचार करने की बात कह रहा है। यह एक बड़ा विरोधाभास है। जानकार यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि कई बार सरकार इस तरह के मुआवजे अपने सरकारी खजाने से न देकर 'दायें-बायें' से दो नम्बर में भी अदायगी करा देती है। इस तरह के कुछ मामले पहले से ही मजदूर मोर्चा के संज्ञान में हैं।

कुल मिलाकर खट्टर ने यह जो काम आठ-दस दिन तनाव में रहकर, पूरे प्रशासन को तनाव में रख कर व भारी-भरकम पुलिस जमावड़ा लगा कर सरकारी धन बर्बाद करके किया है, बिना यह सब किये भी हो सकता था। लेकिन इस के लिये राजनीतिक सूझ-बूझ की जरूरत होती है जो खट्टर के आस-परास तक में भी नहीं है।

कुल मिलाकर खट्टर ने यह जो काम आठ-दस दिन तनाव में रहकर, पूरे प्रशासन को तनाव में रख कर व भारी-भरकम पुलिस जमावड़ा लगा कर सरकारी धन बर्बाद करके किया है, बिना यह सब किये भी हो सकता था। लेकिन इस के लिये राजनीतिक सूझ-बूझ की जरूरत होती है जो खट्टर के आस-परास तक में भी नहीं है।

## क्या अगला नम्बर खट्टर का लगने वाला है?

मजदूर मोर्चा व्यूरो

दो बार उत्तराखण्ड, एक बार कर्नाटक और एक बार गुजरात का मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब अगला नम्बर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का लगने वाला है। राजनीतिक हल्कों में यह चर्चा आजकल काफी गम्भीर है। इसी सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खट्टर की पेशी मार्ग जाने से यह चर्चा अब कुछ ज्यादा ही गम्भीर गयी है।

बेशक पेशी भुगतने के बाद नकली मुस्कान के साथ खट्टर ने बाहर आकर बताया कि वे तो मोदी को राज्य की स्थिति विशेष कर करनाल में चल रहे कि किसान धरने आदि के बारे में बताने आये थे। अजी खट्टर साहब किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या मोदी जी आपके बताने के भरोसे बैठे हैं? उनके पास पल-पल कौ लाइव रिपोर्टिंग पूँछवती रहती है और फिर यह मामला तो वैसे भी निपट चुका है, बेशक सरकार की पूरी फजीहत कराने के बाद राजनीतिक विश्लेषक मानकर चल रहे हैं कि खट्टर ने अपने पूरे सात साल के कार्यकाल में कभी भी राजनीतिक परिपक्ति का परिचय नहीं दिया, परिचय तो वे बढ़ देते न जब वह उनके पास होती। रही सही कसर उन्होंने इस किसान आंदोलन के दौरान निकाल दी। बीते करीब 10-11 महीनों में उनकी व्यक्तिगत फजीहत के साथ-साथ जो फजीहत पूरी सरकार एवं भाजपा की हुई है, उससे केन्द्रीय नेतृत्व का परेशान होना स्वाभाविक है। इसके अलावा प्रदेश भर में जिस तरह भ्रष्टाचार व लूट का कारोबार चल रहा है, उससे भी भाजपा की छवि रसातल में पहुँच चुकी है। जानकार तो यहां तक भी बताते हैं कि बीते दिनों खट्टर द्वारा फरीदाबाद के सीपी ओमप्रकाश सिंह के घर लंच करने व उन्हें खुली लूट का परमिट देने के लेकर भी मोदी ने इन्हें हड़काया था।

दरअसल मोदी की नीति यही है कि जनता को बहकाने के लिए वे सीएम बदलकर यह संदेश देना चाहते हैं कि सारी बदइन्जामी भ्रष्टाचार आपार के लिए जो सीएम जिम्मेवार था, उसे बदल दिया गया है और अब सब ठीक हो जायेगा। वास्तव में ठीक कुछ नहीं होना होता। भाजपा द्वारा मनोनीत तमाम सीएम मोदी द्वारा तथ नीतियों का ही पालन करते हैं और लूट का माल ऊपर तक पहुँचते हैं। इसलिये बड़ी दुविधा यह भी है कि नया वफादायर प्यादा किसे बनायें?

## अदालतें अपने ऊपर मुकदमों का बोझ स्वयं लादती हैं

फरीदाबाद (म.मो.) देश भर की अदालतों में मुकदमों का इतना भारी भरकम बोझ लादा है कि पीड़ियां गुजर जाती हैं फैसले के इन्तजार में। मजे की बात तो यह है कि ज्यों-ज्यों अदालतों की संख्या बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों मुकदमों का भार भी बढ़ता जा रहा है। यह भार कैसे बढ़ता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत है।

जुलाई 2017 में एक दोपहर जब यह संवाददाता अपने घर पहुँचा तो पाया कि थाना कोतवाली का एक सिपाही सिविल में घात लगाये बैठा था, जो देखते ही सामने आ खड़ा हुआ। एक काशाज दिखाते हुए बोला कि या तो 27000 रुपये तुरन्त भर दो वरना गिरफ्तार करोगा। काशाज का पढ़ने से पता चला कि वह स्थानीय कोट द्वारा किये गये एक फैसले के क्रिक्रियान्वयन (इजारा) का आदेश था जो कोर्ट ने टेलिफोन विभाग के हक में एकतरफा सुनवाई करके वसूली का आदेश जारी कर दिया था। सिपाही को जैसे-तैसे टरकाया और तुरन्त मिसल मुआयन करने पर पता चला कि टेलिफोन विभाग ने दो-तीन साल पूर्व अदालत में अपना बकाया बिल वसूली का केस दायर करके अपने हक में फैसला करा लिया था।

इसके बाद विभाग ने छड़ीयन करके बिल वसूलने की योजना बनाई। पहली सीढ़ी पार करके कोर्ट से अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर ली। लेकिन जब दोबारा सुनवाई हुई और संवाददाता द्वारा विभाग को लिखे पत्र एवं विभाग से गये तो उनकी, एक बार तो, सिद्धी-पिट्ठी गुम हो गयी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने इस संवाददाता को फ़स्ताविक द्वारा लिया जाना दिया। एक फ़स्ताविक करके एक तरफा अनुसार कोर्ट में पेश किया कि उपभोक्ता ने 500 रुपये मासिक वाला प्लान बदलवा कर दूसरा बड़ा प्लान ले लिया था। इतना बड़ी फ़स्ताविक करके एक तरफा कोर्ट की सामने करने में विभाग को कठिन हो गया। यह भी कोर्ट के बाद दूसरा बड़ा प्लान ले लिया था।

वहीं उन्होंने एक बड़ा फ़ाइल निरीक्षण के बाद अदालत में दरखास्त लगा कर बताया गया कि टेलिफोन विभाग का दावा एकदम झूठा व बेबुनियाद है तथा हेराफ़ेरी करके एक तरफा फैसला अदालत से प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए दरखास्त रद्द कर दी। तक़ालीन सेशन जज दीपक गुप्ता की कोर्ट में अपील डाली गयी; उन्होंने पूरे मामले को समझा अपील

हैं कुछ भी फ़र्जीवाड़ा कर लो, सब चलता है। कोर्ट ने इस फ़र्जीवाड़े व केस की सारी सच्चाई को समझते हुए इस संवाददाता के हक में दिनांक 9 सितम्बर को फ़ैसला दे दिया, परन्तु धोखा-धड़ी, कोर्ट को गुमराह करने, तथ्यों को छिपाने फ़र्जी दस्तावेज़ तैयार करके कोर्ट में पेश करने को लेकर विभाग के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। विभाग के विरुद्ध कार्यवाही के नाम पर कोर्ट ने उन पर केवल 228 रु. बताएँ हर्जा-खर्चा डाला, जिसे लेने के लिये एक कवायद अलग से रसीद करा ला। इसमें लिखा गया था कि गलत बिल को ठीक कर दें वरना इसे तुरन्त हो जाएगा।

इसके बाद विभाग ने छड़ीयन करके बिल वसूलने की योजना बनाई। पहली सीढ़ी पार करके कोर्ट से अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर ली। लेकिन जब दोबारा सुनवाई हुई और संवाददाता द्वारा विभाग को लिखे पत्र एवं विभाग से गये तो उनकी, एक बार तो, सिद्धी-पिट्ठी गुम हो गयी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने इस संवाददाता को फ़स्ताविक द्वारा लिया जाना दिया। एक फ़स्ताविक करके एक तरफा अनुसार कोर्ट में पेश किया कि उपभोक्ता ने 500 रुपये मासिक वाला प्लान बदलवा कर दूसरा बड़ा प्लान ले लिया था। इतना बड़ी फ़स्ताविक करके एक तरफा कोर्ट से अपने हक में फैसला ले लें तो कौन केस लड़ा फ़िरेगा।

कुल मिलाकर इस वाहियात एवं फ़र्जी केस का बोझ करके कोर्ट ने चार साल तो एक बार ढोया और 6 साल जब ढोया जब उन्होंने 2011 में केस दायर किया था। यानी कुल मिलाकर न्यायपालिका ने 10 साल तक उस अवार्द्धित मुकदमे का बोझ ढोया जिसे तुरन्त ही, पहली पेशी के बाद, विभाग पर भारी जुर्माने के साथ रद्द किया जा सकता था।